न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 60/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. वना पुत्र गेना जाति–ब्राहाण, निवासी– वासन–चौहान, तहसील व जिला–सांचौर		1 अणदा पुत्र नारणा, जाति–ब्राहाण निवासी–वासन चौहान, तहसील–सांचौर 2 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर जिला–सांचौर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 10.12.2021

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता वादी श्री भगवती प्रसाद बालोत व चेतन पुरोहित उपस्थित।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित।
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक :– 11.07.2024

:– निर्णय :–

प्रकरण में वाद एवं प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके सरहद मौजा धुड़वा के पुराना खेत खसरा संख्या 69 रकबा 97 बिघा 01 बिस्वा रामजी वल्द लाला सरूपा वल्द जैठा व उक्त आराजी प्रभु वल्द अजा व गुलाबा वल्द सरूपा की पैतृक संपति होने से उक्त पुराना खसरा संख्या 69 में नवीन खेत खसरा संख्या 163 रकबा 4.18 हैक्टेयर, खसरा संख्या 164 रकबा 3.81 हैक्टैयर, खसरा संख्या 168 रकबा 3.19 हैक्टेयर, खसरा संख्या 182 रकबा 2.98 हैक्टेयर, खसरा संख्या 163/300 रकबा 1.39 जूमले रकबा 15.55 हैक्टेयर नवसृजित हुए उक्त आराजी का बंटवाड़ा होकर खसरा नंबर 69 मी. रकबा 69 बिघा 1 बिस्वा भूमि प्रभु वल्द अजा व गुलाबा पुत्र सरूपा के नाम दर्ज हुई तथा उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बैचान दस्तावेज दिनांक 09.06.1980 को बएवज रूपये 19000/ में प्रभु वल्द अजा के हिस्से में से 19 बिघा 8 बिस्वा भूमि खरीद कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने कब्जा प्राप्त किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हुए बैचान दस्तावेज के जरिये नामान्तरकरण भरने हेतु हल्का पटवारी को दस्तावेज दिये हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 75 प्रशासन गांवों के संग केम्प 1983 में खोला जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार सांचौर के समक्ष पेश किया जिस पर तहसीलदार सांचौर ने अपनी टिप्पणी में मुझ वादी का नाम न लिखकर वादी के पिता का नाम गेना तथा प्रतिवादी संख्या 1 अणदा का नाम लिख दिया तथा दोनों की वल्दीयत नारणा बताकर नामान्तरकरण संख्या 75 स्वीकृत कर दिया जो गलत है उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी व अन्य राजस्व प्रविष्टियों में मेरा नाम वना की जगह गेना चला आ रहा है जो गलत है उक्त नाम तहसीलदार सांचौर द्वारा भूलवंश व त्रुटिवंश लिख दिया गया। जिसकी जानकारी पूर्व में वादी को नही थी किन्तु दो माह पूर्व उक्त आराजी पर वादी ने ऋण लेना चाहा तथा नकलें मांगी व नकल प्राप्त करने का उक्त बात की जानकारी हुई, तत्पश्चात् तहसील कार्यालय से नकले आदि प्राप्त कर वादी ने उक्त भूल सुधार करने हेतु प्रशासन गांवों के संग कैम्प में प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा की आप न्यायालय में कार्यवाही करों [illegible] हक की भूमि खरीद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी प्रभु वल्द [illegible] रकबा 2.79 हैक्टैयर भूमि है की तथा कब्जा प्राप्त किया जिसके वर्तमान खसरा [illegible] है अन्त में वादी ने तथा आज भी मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का [illegible] 182 रकबा 2.79 हैक्टेयर, भूमि वाद पेश कर वाके सरहद मौजा धुड़वा के खेत खसरा [illegible] राजस्व रेकर्ड में गेना पुत्र नारणा की जगह [illegible] के 1/2 हिस्से की खातेदारी पाने का तथा पुत्र गैना का नाम सुधारा जाने का निवेदन किया।

वादी की और से वाद पेश होने पर वाद कार्यालय टिप्पणी के बाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बाद सम्मन तामिल के अनुपस्थित होने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से वकील श्री मदनलाल जाट ने वकालत नामा पेश कर इकबाली जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किया गया।

प्रकरण में वाद का प्रतिकार नहीं होने पर बहस अंतिम सुनी गई प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सामलाती खरीद की गई भूमि है तथा बेचान दस्तावेज वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पंजीयन हुआ तथा नामान्तरकरण भी हल्का पटवारी द्वारा दोनों के नाम खोला गया, किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते वक्त भूलवंश वादी वना का नाम न लिखकर वादी की जगह उसके पिता गेना का नाम तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 अणदा का नाम व दोनों की वल्दीयत नारणा लिखकर नामान्तरकरण संख्या 75 स्वीकृत कर दिया गया है, जो एक भूलवंश व त्रुटिवंश लिखा गया है तथा उक्त त्रुटि एवं मानवीय भूल है जिसमें सुधारा जाना आवश्यक होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाके सरहद मौजा धुड़वा के खेत खसरा संख्या 182 रकबा 2.79 हैक्टेयर भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जावें साथ ही उक्त भूल को सुधारने हेतु तहसीलदार सांचौर के नाम आदेश फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 का कोई उजर एतराज नहीं है।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन् व अवलोकन किया वादी द्वारा वाद के समर्थन में पेश नामान्तरकरण संख्या 49 से उक्त आराजी पूर्व में प्रभु पुत्र अजा, व गुलाबा पुत्र सरूपा की खातेदारी होना प्रमाणित है वादी द्वारा वादी के हक मे हुए बेचान दस्तावेज का अवलोकन करने से उक्त बेचान दस्तावेज प्रभुराम वल्द अजाराम जाति–ब्राहमण, निवासी–धुड़वा द्वारा दिनांक 09.06.1980 वादी वना पुत्र गैना तथा प्रतिवादी संख्या 1 अणदा पुत्र नारणा के नाम पंजियन होना साबित है नामान्तरकरण संख्या 75 का अवलोकन करने पर कालम संख्या 11 में हल्का पटवारी द्वारा उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 75 खोला जाकर वना पुत्र गेना व अणदा पुत्र नारणा के नाम उक्त नामांतरकरण खोला जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक सरवाना के समक्ष जांच हेतु भेजा गया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने जांच कर उक्त नामांतरकरण सही पया गया होना की टिप्पणी की गई तत्पश्चात् उक्त नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सांचौर के समक्ष स्वीकृत हेतु पेश किया गया जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा अपनी टिप्पणी में वना पुत्र गेना लिखने की बजाय वादी का नाम छोड़कर वादी के पिता गेना व प्रतिवादी संख्या 1 अणदा का नाम लिखकर वल्दीयत में दोनों के पिता का नाम नारणा लिखा गया प्रतीत होता है।

वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल से उक्त पुनाना खेत खसरा संख्या 69 से नवीन खेत खसरा संख्या 182 नवसृजित होना साबित है तथा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 25 में खसरा संख्या 182 रकबा 2.79 हैक्टैयर भूमि अणदा पुत्र नारणा हिस्सा 1/2 तथा गेना पुत्र नारणा हिस्सा 1/2 दर्ज है इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी वन्ना पुत्र गेना का नाम भूलवंश व त्रुटिवंश न लिखकर वादी वन्ना की जगह उसके पिता गैना का नाम लिखकर वल्दीयत में प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दीयत नारणा लिख दिया गया होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

:: आदेश ::

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:17 IST
Reason: SelfAttested

फलस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया ज[illegible] वाके [illegible]द मौजा धुड़वा के खेत खसरा संख्या 182 रकबा 2.79 हैक्टैयर [illegible] वादी वन्ना पुत्र गेना जाति–ब्राहाण, निवासी–वासन चौहान के नाम [illegible] है तथा प्रतिवादी संख्या 2 को गेना पुत्र नारणा की जगह वना पुत्र गेना के नाम की [illegible] करने के आदेश दिये जाते है तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तीब हो।

(श्री प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner